नीतिगत/महत्वपूर्ण

संख्या-04/2018/548/46-3-18-331/2017

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2018

विषय- **प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली चीनी मिलों, सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना कृषकों को पुरस्कृत किये जाने की योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास से सम्बन्धित विकास कार्यों को गति प्रदान करने, गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का त्वरित एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कराने तथा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत गन्ना कृषकों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चीनी मिलों, सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना कृषकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से सराहनीय/उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की 03 चीनी मिलों को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति-पत्र तथा 03 सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं 03 गन्ना कृषकों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जाने की योजना को प्रदेश में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का प्रारूप निम्नानुसार होगा:-

(1) प्रदेश की उत्कृष्ट कार्य करने वाली 03 चीनी मिलों को पुरस्कृत करने की योजना-

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत् 119 चीनी मिलों को उनके द्वारा निम्न विषयों पर दी जाने वाली परफार्मेन्स के अनुसार प्रतिवर्ष पेराई सत्र की समाप्ति पर अंक प्रदान किये जायेंगे तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 03 उत्कृष्ट चीनी मिलों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिह्न एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

विषय, जिन पर अंक प्रदान किये जायेंगे

क्र.सं.	विषय	अधिकतम अंक
1	गन्ना मूल्य का समयान्तर्गत भुगतान	20
2	औसत चीनी परता	20
3	ड्राल प्रतिशत	20
4	गन्ने की शुद्ध तौल	20
5	चीनी मिल परिक्षेत्र में प्रजातीय संतुलन	20

(2) प्रदेश की उत्कृष्ट कार्य करने वाली 03 गन्ना समितियों को पुरस्कृत करने की योजना-

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत 169 गन्ना समितियों को निम्न विषयों पर उनके द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्पादित कार्यों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 3 गन्ना समितियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। गन्ना समितियों को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिह्न एवं प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त प्रथम पुरस्कार के रूप में रु.51,000/-, द्वितीय पुरस्कार के रूप में रु.31,000/- व तृतीय पुरस्कार के रूप में रु.21,000/- की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जायेगी।

विषय, जिन पर अंक प्रदान किये जायेंगे

क्र.सं.	विषय	अधिकतम अंक
1	समिति को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष उर्वरक वितरण	20
2	समिति अभिलेखों का रख रखाव, परिसर तथा भवन की स्वच्छता।	10
3	गन्ना कृषकों को ऋण वितरण एवं वसूली	10
4	फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	10
5	टी.डी.एस रिफन्ड की स्थिति	15
6	विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निस्तारण	15
7	गन्ना समिति की प्रबंध कमेटी की नियमित बैठकों एवं सामान्य वार्षिक सभा का संपन्न होना तथा बैलेंसशीट की अद्यावधिक स्थिति	10
8	समितियों की सम्पत्तियों का रखरखाव (सम्पत्ति मैपिंग व कब्जामुक्त कार्यवाही)	10

(3) उत्कृष्ट कार्य करने वाले गन्ना कृषकों को पुरस्कृत किये जाने की योजना-

इस योजनान्तर्गत गन्ना उत्पादन एवं चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले गन्ना समितियों के सदस्य कृषकों के मध्य एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक कृषकों को प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर तक आवेदन फार्म भरना होगा, जो निःशुल्क होगा। आवेदन फार्म का प्रारूप गन्ना आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसमें प्रतियोगिता वर्ष से सम्बन्धित वांछित सूचनाओं के वास्तविक/संभावित आंकड़े अंकित किये जायेगें। कृषकों से आवेदन प्राप्त करने का कार्य सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद करेगी। तदोपरान्त जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अपने जिले के आवेदनकर्ता कृषकों की समेकित सूचना 15 नवम्बर तक गन्ना आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। गन्ना उत्पादकता की जांच हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उत्पादकता पुरस्कार के लिए निर्धारित फसल कटाई की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित सचिव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा चीनी मिल द्वारा हस्ताक्षरित एवं स्वयं द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/ प्रमाणित करके अंतिम सूचनाएं/संस्तुति, गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को उपलब्ध करायेगें। तत्पश्चात् कृषकों के पुरस्कार हेतु चयन एवं पुरस्कार वितरण की कार्यवाही गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ के स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कृषकों को निम्न विषयों पर अंक प्रदान किये जायेंगे तथा प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 03 कृषकों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। विजेता कृषकों को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिह्न व प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त प्रथम पुरस्कार रू.51,000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वितीय पुरस्कार रू.31,000/- व तृतीय पुरस्कार रू.21,000/- की धनराशि प्रदान की जायेगी।

विषय, जिन पर अंक प्रदान किये जायेंगे

क्र.सं.	विषय	अधिकतम अंक
1	विभागीय योजनाओं में किसान की सहभागिता	20
2	किसान द्वारा प्राप्त प्रति हेक्टेयर उपज	20
3	किसान द्वारा चीनी मिलों को औसत गन्ना आपूर्ति प्रति हेक्टेयर	20
4	किसान द्वारा गन्ना समिति से लिये गये ऋण एवं उसकी वापसी की स्थिति	20
5	किसान के पास उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल में स्वीकृत प्रजातियों की स्थिति	20
6	कृषि आय दोगुना करने हेतु अपनायी गयी अन्य फार्मिंग पद्धति (पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि)	20

चीनी मिलों, गन्ना समितियों एवं गन्ना कृषकों को अंक प्रदान किये जाने हेतु जनपद, परिक्षेत्र एवं प्रदेश स्तर पर निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

जनपद स्तरीय कमेटी

1	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला गन्ना अधिकारी	सदस्य/संयोजक
3	एक ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, (वरिष्ठतम)	सदस्य
4	एक गन्ना समिति का अध्यक्ष (लाटरी द्वारा)	सदस्य
5	एक चीनी मिल का प्रधान प्रबंधक (लाटरी द्वारा)	सदस्य
6	एक गन्ना समिति का सचिव (वरिष्ठतम)	सदस्य

परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी

1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2	परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त	सदस्य/संयोजक
3	एक जिला गन्ना अधिकारी, (परिक्षेत्र, मुख्यालय)	सचिव
4	एक गन्ना समिति का अध्यक्ष (लाटरी द्वारा)	सदस्य
5	एक ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (वरिष्ठतम) सदस्य	सदस्य
6	एक चीनी मिल का प्रतिनिधि (लाटरी द्वारा)	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदेश स्तरीय कमेटी

1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	प्रबंध निदेशक, चीनी मिल्स संघ	उपाध्यक्ष
3	एक अपर गन्ना आयुक्त (आयुक्त द्वारा नामित)	सदस्य/सचिव
4	मुख्य प्रचार अधिकारी	सदस्य
5	एक परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त (आयुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
6	गन्ना संघ के अध्यक्ष	सदस्य
7	एक जिला गन्ना अधिकारी (आयुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
8	एक चीनी मिल का प्रतिनिधि (आयुक्त द्वारा नामित)	सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित कमेटियों में से जनपद स्तर पर गठित कमेटी द्वारा जनपद के उन्नतिशील गन्ना किसानों, गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों से उपरोक्तानुसार प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे तद्नुसार गन्ना किसानों, गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों को जिन मदों की परफार्मेन्स देखी जानी है उसकी अधुनांत आख्या/रिपोर्ट प्राप्त करते हुए उपर्युक्त निर्धारित विषयों में अंक प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय का वर्गीकरण करते हुए अपनी रिपोर्ट परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी को प्रस्तुत करेंगी तथा परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तीनों वर्गों का वर्गीकरण परिक्षेत्र स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय का चिह्नांकन कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश स्तरीय कमेटी को अग्रसारित एवं संस्तुति करेंगे। प्रदेश स्तरीय कमेटी भी अपने अधीनस्थ सभी गन्ना परिक्षेत्रों से उक्तानुसार रिपोर्ट प्राप्त कर प्रदेश स्तर पर गन्ना कृषकों, गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों में उनकी प्राप्त परफार्मेन्स के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान का निर्धारण करते हुए समारोह आयोजित कर तीनों वर्गों कें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के विजेता गन्ना कृषकों, गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों को पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा।

गन्ना कृषकों, गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों को दिये जाने वाले पुरस्कार की धनराशि, स्मृति चिह्न आदि पर आने वाले व्ययभार को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) वर्तमान में गन्ना विभाग में संचालित की जा रही अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जनपद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को, जो पुरस्कार दिये जाते हैं, उन गन्ना किसानों को भी प्रादेशिक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए, पुरस्कार प्रदान किये जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन एवं अपेक्षित कार्यवाही व अनुश्रवण-गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर से किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत दिये जाने वाले पुरस्कार, स्मृति चिन्ह्न व प्रशस्ति-पत्र इत्यादि हेतु, प्रतिवर्ष वित्त विभाग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान शासन द्वारा तथा प्राविधान के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृति के माध्यम से अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को गन्ना आयुक्त के निवर्तन पर रखा जायेगा, जिसके सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2018/548 (1)/46-3-18-331/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
10. अध्यक्ष, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
12. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
13. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
14. समस्त अपर/संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. अध्यक्ष, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसियेशन, चिंटल हाऊस, लखनऊ।
17. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ.प्र. शासन।
18. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।
19. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in